

कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन


अग्निशमन विभाग

पत्र क्रमांक.....195...../ न.पा.नि. उज्जैन /2023

दिनांक- 8/09/2023

प्रति

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन



विषय:- फायर एनऑंसी प्रकरण 6100011529 के संबंध में।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक:-1055/ए.डी.एम./रीडर/2023 उज्जैन दिनांक 09/08/2023 ।

कृपया संदर्भित के प्रकरण 6100011529 के संबंध में प्रोविजनल फायर एनऑंसी के संबंध में अभिमत एवं प्रतिवेदन चाहा गया है।

निर्देशानुसार भवन की प्रोविजनल फायर एनऑंसी के संबंध में परीक्षण उपरान्त प्रतिवेदन संलग्न सादर प्रस्तुत है।

प्र. फायर ऑफिसर
अग्निशमन विभाग उज्जैन
नगर पालिक निगम उज्जैन

फायर प्लान अप्रूवल के संबंध में प्रतिवेदन
प्रकरण क्रं. 6100011529

कलेक्टर कार्यालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. के पत्र क्रमांक:-1055/ए.डी.एम./रीडर/2023 उज्जैन दिनांक 09/08/2023 के प्रकरण 6100011529 के संबंध में अभिमत एवं प्रतिवेदन चाहा गया ।

उज्जैन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत फायर प्लान अप्रूवल (एनओसी) पोर्टल पर प्राप्त प्रकरण का दस्तोवजो की परीक्षण उपरान्त मौके पर स्थल का निरीक्षण किया गया, फायर प्लान अप्रूवल हेतु प्रस्तावित स्थल के दस्तावेजो रिकार्ड उपलब्ध पाये गये :-

FIRE PLAN APPROVAL हेतु प्राप्त दस्तावेजो का विवरण:-

01	आवेदन क्रमांक	6100011529
	आवेदक का नाम एवं पता	THE YUGANTER INTERNATIONAL SCHOOL (OWNER ARCHANA AVASTHI)
	स्थल का पता	KHASARA NO. 648/1/2, PATWARI KALKA NO. 41 GRAM UNDASA KANIPURA TARANA ROAD UJJAIN
	एनओसी का प्रकार	FIRE PLAN APPROVAL
	भवन का प्रकार	स्कूल भवन
	भवन का अनुज्ञा पत्र एवं नक्शा	संलग्न है
	रजिस्ट्री या लीजडीट	संलग्न है ।
	फायर प्लान	संलग्न है । पूर्ति होकर पूर्ण
	53 पाईन्ट में जानकारी है	संलग्न है । पूर्ति होकर पूर्ण

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निम्न फायर प्लान अप्रूवल हेतु प्राप्त प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :-

Annu
फायर ऑफिसर
नगर निगम, उज्जैन

01 रिक्वेस्ट नम्बर- 6100011529

-आवेदक (OWNER ARCHANA AVASTHI) KHASARA NO. 648/1/2, PATWARI KALKA NO. 41 GRAM UNDASA KANIPURA TARANA ROAD UJJAIN

के आवेदित स्थल - THE YUGANTER INTERNATIONAL SCHOOL (OWNER ARCHANA AVASTHI)

KHASARA NO. 648/1/2, PATWARI KALKA NO. 41 GRAM UNDASA KANIPURA TARANA ROAD UJJAIN

के 2250 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर एवं उँचे शैक्षणिक भवन निर्मित 9 मीटर भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रदाय करने के संबंध मे ।

फायर प्लान अप्रूवल लेने हेतु आवेदकों को निम्न लिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा-


1) (निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down Comer
- 4- Hose Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G.Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tanks
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual Operated Electrical Fire Alarm System
- 15- P.A. System with talk back facility
- 16- Emergency Light
- 17- Auto D.G. Set
- 18- Illuminated Exn Sign.
- 19- Means of Escape
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Fireman Switch in Lift
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
- 24- Refuge Area

आवेदित भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार कराकर (हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इन्जीनियर तथा भवन प्रबंधक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है

Chinnu
फायर ऑफिसर
नगर निगम, उज्जैन

- 2) उपरोक्तलिखित 24 बिन्दुओंमें से आवश्यक अग्निशमनउपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधानअनुसार) का सलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवंअन्य आवश्यक फायरफायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार) व्यवस्थाकरना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालनकरना अनिवार्य होगा ।
- 3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण / उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा । यह अनुज्ञाभवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी । यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी.सी 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा ।
- 4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा ।
- 5) (आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा । आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्निप्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी । किसी भी अन्य विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त नही होने पर इससे स्वतः ही अमान्य माना जाएँगा ।
प्रतिवेदन श्रीमान कि और प्रेषित।


प्र. फायर ऑफिसर
नगर पालिक निगम, उज्जैन